ग्रामीण विकास से सम्बन्धित कार्यों के लिए निम्न से सम्पर्क स्थापित करें

- ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यक्तिगत शौचालयों, महिला काम्पेक्स, स्कूल शौचालय, ग्रामों में खड़न्जा/नाली निर्माण, पंचायत भवन निर्माण, हैण्डपम्पों की मरम्मत, खराब ट्यूबेलों की मरम्मत आदि के लिए ग्राम पंचायत के प्रधान तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से सम्पर्क करें।
- आवश्यकतानुसार खण्ड विकास अधिकारी/सहा० विकास अधिकारी (पं), जिला स्तर पर जिला पंचायतराज अधिकारी या मुख्य विकास अधिकारी से पत्र व्यवहार करें।
- किसान सेवा केन्द्रों तथा तहसील दिवसों पर उपस्थित होकर सम्बन्धित अधिकारी से सम्पर्क कर अपनी समस्याओं का निराकरण करावें।

सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान

यह अभियान क्या है?

इस अभियान का उद्देश्य पंचायत राज विभाग द्वारा केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के सहयोग से गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के घरों में शौचालय बनवाना, प्राइमरी एवं जू०हा० स्कूलों में शौचालय बनवाना तथा चुने हुए गाँवों में महिलाओं के लिए सामुदायिक शौचालय बनवाना प्रमुख है। इसके अतिरिक्त साफ सफाई के प्रति जागृति पैदा करना, प्रदूषण रहित वातावरण तैयार करना, गन्दगी से होने वाली बीमारियों के प्रति सभी को जानकारी देना, साफ पीने के पानी के उपयोग के लिए प्रेरित करना भी इसका उद्देश्य है।

शौचालय क्या है?

शौचालय मल-मूत्र त्याग के लिए एक कमरा होता है। घर में या उसके पास इसके बन जाने से शौच करने में सुविधा होती है, जिससे परिवार के लोगों विशेषकर महिलाओं की इज्जत-आबरू की रक्षा करने, गर्भवती महिलाओं, बीमारों, बच्चों, वृद्धजनों को सुविधा प्रदान करने में सहायता मिलती है। तपती धूप, मूसलाधार बारिश, कड़कड़ाती ठंढ में बाहर शौच से मुक्ति मिलती है।

इससे क्या फायदे हैं?

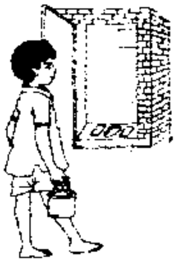

1. बाहर खुले में टट्टी, पेशाब करने से गंदगी के कारण होने वाले रोगों जैसे— पेचिस, हैजा, टायफाइड, पीलिया आदि से प्रतिवर्ष एक परिवार औसत रु० 2500-00 दवाइयों व डाक्टर की फीस पर खर्च करता है। शौचालय बन जाने से अनेक बीमारियों और उसके साथ ही पैसों की बचत होगी।
2. खुले में टट्टी, पेशाब न करने से वायु एवं जल प्रदूषण में कमी आती है एवं वातावरण स्वच्छ रहता है।
3. अंधेरे में महिलाओं द्वारा शौच के समय गुंडों द्वारा छेड़छाड़ व बलात्कार की घटनाओं से बचा जा सकता है।
4. शौचालय में शौच करना सभ्य समाज के लिए उचित है तथा बाहर मल-त्याग करना अनुचित है।
5. गंदगी से होने वाले रोगों के कारण गांव में आदमी के काम का हर्जा होने से प्रतिवर्ष प्रति परिवार औसत कम से कम रु० 1000-00 का नुकसान होता है। शौचालय बन जाने से यह नुकसान नहीं होगा।

कम कीमत का शौचालय क्या है?

1. इसमें दो तरह के शौचालय बनाए जाते हैं। पहला 625 रुपये की लागत से जिसमें 125 रुपये लाभार्थी देगा तथा 500 रु० सरकार देगी।
2. दूसरा 1000 रुपये की लागत से, जिसमें 500 रु० सरकार देगी तथा 500 रु० लाभार्थी देगा। दोनों तरह के शौचालयों में कुर्सी स्तर तक का निर्माण इस योजना के अन्तर्गत कराया जायेगा तथा कुर्सी के ऊपर का भवन लाभार्थी अपनी इच्छा के अनुसार बनवाएगा।